



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 20102023-249570
CG-DL-E-20102023-249570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945

No. 607]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 17/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 774(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I में- 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में- 9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हो, से भिन्न" प्रति स्थापित की जाएगी।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV में- 14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. 711 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 17/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 774(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

- In the said notification, -
 (A) in Schedule I – 2.5%, -
 (i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“92A.	1703	Molasses”;

- (ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled”;

- (B) in Schedule III – 9%,
 (i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures “of heading 1905”, the words and figures “of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be substituted;
 (ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use”;

- (C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note:-The principal notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 11/2023– Central Tax (Rate), dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 29th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 20/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 775(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची I में- 5%,-

- (i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

- (ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

- (ख) अनुसूची III में- 18%,-

- (i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो, से भिन्न" प्रतिस्थापित की जाएंगी।
- (ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

- (ग) अनुसूची IV में- 28%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 जिसे सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 20/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 775(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in

the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“92A.	1703	Molasses”;

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled”;

(B) in Schedule III – 18%,

(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures “of heading 1905”, the words and figures “of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be substituted;

(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use”;

(C) in Schedule IV – 28%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 1/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E)., dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2023– Integrated Tax (Rate), dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 712(E), dated the 29th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 17/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 776(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा

(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I में- 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में- 9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो, से भिन्न" प्रतिस्थापित की जाएंगी।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV में- 14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 17/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 776(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“92A.	1703	Molasses”;

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled”;

(B) in Schedule III – 9%,

(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures “of heading 1905”, the words and figures “of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be substituted;

(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use”;

(C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 1/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 11/2023– Union Territory Tax (Rate), dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 29th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 18/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 777(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न।

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 150 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 18/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 777(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“94A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2023 – Central Tax (Rate), dated the 28th February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 150(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 21/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 778(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न”।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 151(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 21/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 778(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely

In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“94A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: -The principal notification No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E)., dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2023 – Integrated Tax (Rate), dated the 28th February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 151(E)., dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं.18/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 779(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप धारा (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न”

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023 - संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 18/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 779(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union Territory (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"94A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled".

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 2/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2023 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 152(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 19/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 780(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 922 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 19/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 780(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry may be substituted, namely: -

“Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)], State Government, Union territory or a local authority.”

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2022-Central Tax (Rate), dated the 30th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 922 (E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 22/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 781(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"केन्द्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 923 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 22/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 781(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry may be substituted, namely: -

“Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)] , State Government, Union territory or a local authority.”

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 4/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2022- Integrated Tax (Rate), dated the 30th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 923 (E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 19/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 782(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 4/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे

सा.का.नि. 924 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 19/2023-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 782(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry may be substituted, namely: -

“Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)], State Government, Union territory or a local authority.”

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 4/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2022-Union Territory Tax (Rate), dated the 30th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 924 (E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 20/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 783(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 677 (अ), दिनांक 28, जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरण: यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी।”;

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 677 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 559 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 20/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 783(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 677(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating thereto, following S.No. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“6AA.	5605	Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic film; Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film /plastic film”;

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No.5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 677(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended by notification No. 9/2022 – Central Tax (Rate), dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 559(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 23/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 784(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित तहत केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरण: यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी।”;

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 5/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 560 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 23/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 784(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 670(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating thereto, following S.No. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“6AA.	5605	Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic film; Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film /plastic film”;

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No.5/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 670(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended by notification No. 9/2022 – Integrated Tax (Rate), dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 560(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 20/2023- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 785(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित तहत केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरण: यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी।”;

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 561 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 20/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 785(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. **5/2017**-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 714(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating thereto, following S. No. and the entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“6AA.	5605	Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic film; Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film /plastic film”;

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No.5/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 714(E)., dated the 28th day of June, 2017, and was last amended by notification No. 9/2022 – Union Territory Tax (Rate), dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 561(E)., dated the 13th July, 2022.